सं. 179] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2003/कार्तिक 16, 1925
No. 179] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2003/KARTIKA 16, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 4 नवम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/98/2002-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा कांडला में नमक के उत्पादन के प्रयोजन के लिए पट्टे पर दिए गए भूखंड के दर ढांचे में संशोधन करने के लिए कांडला पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित प्रकरण को, संलग्न आदेशानुसार, बन्द करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/98/2002-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) -------- **आवेदक**

आदेश

(अक्तूबर, 2003 के 22वें दिन पारित)

यह प्रकरण कांडला में नमक के उत्पादन के प्रयोजन के लिए पट्टे पर दिए गए भूखंड के दर ढाँचे में संशोधन करने के संबंध में कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. यहां यह दोहराना प्रासंगिक होगा कि नमक उत्पादन के प्रयोजन के लिए पट्टे पर दिए गए अपने भूखंड की वर्तमान दरों में 100% वृद्धि करने के लिए केपीटी ने नवम्बर, 2002 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/120/2000 दिनांक 9 अगस्त, 2001 द्वारा इस प्रस्ताव का निपटान कर दिया था 24 अगस्त, 2001 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश में, इस प्राधिकरण ने प्रस्तावित दर प्राप्त करने के लिए केपीटी द्वारा अपनाए गए मार्ग पर कुछ टिप्पणियाँ की थीं और नमक भूखंड के लिए पट्टे किराये में वृद्धि करने के केपीटी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय तक पहुंचने के लिए मुख्य कारणों में से एक, विभाग में उन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि कच्छ क्षेत्र पिछले चार वर्षों में चक्रवाती तूफानों, भूकंप और सूखे से ग्रस्त रहा था, गांधीधाम कस्बे में भूमि किराया की समीक्षा से संबंधित मामले को रोके रखना था। इसलिए, यह महसूस किया गया था कि जब अन्य भूखंड मामले पुनर्विचार के लिए तैयार हों तभी किरायों में संशोधन के लिए नमक भूखंड मामले पर कार्यवाही करना केपीटी के लिए अधिक उपयुक्त और व्यवहार्य होगा। केपीटी को, अन्य भूखंड मामलों के साथ यह प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिए जाने के समय वृद्धि के परिकलन संबंधी विभिन्न अन्य बिन्दुओं पर विचार करने की सलाह दी गई थी।

3. इस परिप्रेक्ष्य में, केपीटी ने अब इस प्राधिकरण से अपने नवम्बर, 2000 के प्रस्ताव पर पुनः कार्यवाही करने और उस प्रस्ताव पर दिनांक 9 अगस्त, 2001 को पारित आदेश की समीक्षा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केपीटी ने उल्लेख किया है कि केपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा 20 अक्तूबर, 2002 के अपने संकल्प द्वारा संशोधित पट्टा किराये की दर पर 26 पट्टाधारकों के पक्ष में नमक भूखंड के पट्टों के

नवीकरण के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं. पीटी-17011/77/97-पीटी दिनांक 5 जुलाई, 2002 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया है। सरकार ने केपीटी को इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2001 को पारित आदेश की समीक्षा करने और नमक उत्पादन के प्रयोजन से पट्टे पर दिए गए भूखंड के दर ढाँचे में, इस आधार पर जुलाई, 1999 से संशोधन करने संबंधी अपने प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए इस प्राधिकरण के पास जाने की सलाह भी दी है कि नमक के खेत वाले भूखंड भूकम्प से प्रभावित नहीं हुए थे। हालांकि, सरकार द्वारा 26 नमक भूखंडों के मामले में पट्टा किराया अनुमोदित किया गया है परंतु नमक भूखंड के पट्टे के मामले में संशोधित दरों के लिए इस प्राधिकरण के अनुमोदन के अभाव में, नए पट्टा अनुबन्ध निष्पादित नहीं किए जा सके। केपीटी ने यह यह सिद्ध करने के लिए नमक उत्पादन और नमक निर्यात के सांख्यिकी ब्योरे भी प्रस्तुत किए है कि पिछले चार वर्षों के दौरान कच्छ क्षेत्र को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं का नमक भूखंड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, इसने सूचित किया है कि उसने पिछले पाँच वर्षों के दौरान सड़क तंत्र का विकास करने के लिए, जिससे नमक भूखंडों को उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं में वृद्धि हुई है, लगभग 30.42 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

4. अपनाई गई परामर्शी प्रक्रियानुसार, केपीटी का प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। अपनी टिप्पणियों में, गांधीधाम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री और कच्छ लघु नमक उत्पादक संघ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और पट्टे किराये में किसी वृद्धि संशोधन को प्रभावित नहीं करने का अनुरोध किया है।

5.1. इस प्रकरण की संयुक्त सुनवाई 10 जून, 2003 को गांधीधाम में केपीटी परिसर में हुई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, इस प्राधिकरण के अध्यक्ष ने निम्नलिखित बातें उठाई थीं और केपीटी को उनपर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण देने की सलाह दी गई थी :

(i) प्राधिकरण ने इस संबंध में पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 9-8-2001 को जारी किया था। आदेश के प्रवर्ती भाग (पैरा 5) में, विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं, परंतु वर्तमान प्रस्ताव में ऐसे मुद्दों को नहीं उठाया गया है। यदि वर्तमान प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तो पैरा 5 में उल्लिखित सभी बातों का जवाब देना होगा। उदाहरणार्थ, पैरा 5 (i) में, यह उल्लेख किया गया है कि जब तक पुराने पट्टा अनुबन्ध की दरों में संशोधन नहीं किया जाता इसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

(ii) हालांकि प्राधिकरण प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, फिर भी प्राधिकरण जानना चाहता है कि पत्तन इस भूमि पर प्रशासन करना चाहेगा और क्या भविष्य में इस भूखंड के पत्तन द्वारा उपयोग करने अथवा किसी पत्तन संबंधी अन्य उपयोग के लिए जरूरत पड़ने की संभावना है।

(iii) इस प्रस्ताव में, पाँच ऐसे पट्टे हैं जिनकी पट्टा अवधि बढ़ाने हेतु कोई सिफारिश नहीं की गई है शायद इसलिए कि वे चक्रवात से सुरक्षा प्रदान करने संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करते। पत्तन या तो हमें चक्रवात से सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधानों की अधुनातन स्थिति के बारे में जानकारी अथवा यह बताए कि चक्रवात से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पत्तन द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया जाए कि जब कभी उनके पट्टे का नवीकरण किया जाएगा तब किराया प्रचलित दरों के अनुसार पूर्वव्यापी प्रभाव से वसूल किया जाएगा अथवा नहीं ?

(iv) (क). इस प्रस्ताव से यह भी स्पष्ट नहीं है कि पत्तन द्वारा इन नमक के खेत वाले भूखंडों को अधिग्रहीत करने के लिए वास्तव में कितना निवेश किया गया है। यह विदित है कि इन भूखंडों में से कुछ भूखंड विधिक कार्यवाहियों के माध्यम से अधिग्रहीत किए गए थे और कुछ सरकार से स्थानांतरित हुए थे। वास्तविक सूचना केपीटी द्वारा दी जा सकती है।

(ख). यह अनुमान लगाया गया है कि इस भूखंड के अन्दर किसी सुविधा में सुधार करने के लिए केपीटी द्वारा और अधिक निवेश नहीं किया गया था। इसकी पुष्टि की जाए।

(v) अनुमानतः, प्रस्ताव में उल्लिखित भूखंडों से लगते हुए भारत सरकार अथवा गुजरात सरकार के नमक के खेत भी होंगे। इन भूखंडों के लिए दर ढाँचा क्या है? यह मानते हुए कि प्रस्तावित दरें जुलाई, 1999 से प्रभावी होंगी, केपीटी की प्रस्तावित दरों की तुलना में वे कैसी हैं?

(vi) आज हुई संयुक्त सुनवाई के दौरान, कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने वर्तमान पट्टाधारकों के बारे में कुछ सूचनाएँ दी थीं। विवरण में उल्लिखित पट्टों की वैधता संबंधी सूचना को सत्यापित और अद्यतन किया जाए। इसकी भी जाँच की जाए कि क्या पट्टा किराये में संशोधन करने के लिए पट्टा अनुबन्ध में प्रावधान है। विशिष्ट धारा के अभाव में दरें संशोधित करने पर कानूनी निहितार्थ भी स्पष्ट किए जाएं। यह सूचना देते समय, सम्मिलित क्षेत्र आदि भी दिए जाएं और यह स्पष्ट किया जाए कि इन भूखंडों के लिए अभी तक पट्टे किराये में कोई संशोधन किया गया है अथवा नहीं?

(vii) केपीटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली उप-समिति ने बताया है कि नमक भूखंड के बारे में कोई बिक्री लेनदेन नहीं हुआ है। यह अनुमान लगाया जाता है कि पट्टा विलेख के अनुसार बिक्री लेनदेनों की अनुमति नहीं दी गई थी। यदि ऐसा है तो यह स्पष्ट किया जाए कि किस प्रकार के लेनदेन निर्दिष्ट किए जा रहे हैं?

(viii) (क). वर्ष 1994 में दरें संशोधित करने का आधार उपलब्ध नहीं कराया गया था। वर्ष 1999 में नई दरें प्रस्तावित करने का आधार भी स्पष्ट करें।

(ख). वर्ष 1994 से पहले, दरें कथित रूप से वर्ष 1974 में निर्धारित की गई थीं। इस बात की पुष्टि की जाए और वर्ष 1974 में प्रचलित और वर्ष 1994 में संशोधित दरें भी उपलब्ध कराई जाएं।

(ix) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र सं. पीटी-17011/77/97-पीटी दिनांक 5 जुलाई, 2002 के पैरा 1 (ग) के अधीन उल्लिखित शर्त निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करती है :

"100 एकड़ से अधिक भूखंड 1-8-2000 से 31-3-2004 तक की अवधि के लिए रु0 130/- प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 5% की (संयोजनीय) दर से वृद्धि के साथ इस शर्त के अधीन कि केपीटी, प्राधिकरण द्वारा प्रकरण सं. टीएएमपी/120/2000-केपीटी में 9 अगस्त, 2001 को पारित आदेश की समीक्षा करने के लिए और नमक उत्पादन के प्रयोजन से पट्टे पर दिए गए भूखंड की जुलाई 1999 से प्रभावी दर संरचना के संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को, सभी 20 पट्टाधारकों से यह वचनपत्र लेते हुए कि वे जुलाई, 1999 से नमक के खेतों वाली भूमि के लिए प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरों या निर्धारित दरों का भुगतान करने के लिए सहमत है, इस आधार पर कि नमक के खेतों वाली भूमि भूकंप से प्रभावित नहीं हुई थी, अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकरण से सम्पर्क करेगा।"

पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाए।

इस बात की पुष्टि भी की जाए कि भूकम्प के दौरान नमक के खेत वाले भूखंड के किसी ढाँचे को नुकसान नहीं हुआ था और पट्टा धारकों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा था।

5.2. केपीटी प्राधिकरण द्वारा उठाए गए प्रश्नों और संबंधित उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए समय चाहता था। केपीटी संबंधित उपयोगकर्ताओं से आगे और बातचीत करने और संशोधित प्रस्ताव अथवा तदर्थ दरों का प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो, 31 जुलाई, 2003 तक प्रस्तुत करने के लिए सहमत था।

5.3. केपीटी ने अपने संशोधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए 29 जुलाई, 2003 को समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार किया गया था और 30 सितम्बर, 2003 तक का और समय दिया गया था। केपीटी ने 29 सितम्बर, 2003 को दोबारा सूचित किया कि यह मामला उसके द्वारा गठित उप-समिति के सक्रिय विचाराधीन है और उप-समिति को संशोधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा।

6. यह प्रकरण इस प्राधिकरण के समक्ष 9 माह से अधिक समय से लंबित है। इसके अलावा, केपीटी इस प्राधिकरण और उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों की बृहत जाँच करने के पश्चात अपना मूल प्रस्ताव संशोधित करने के लिए सहमत है। इस परिप्रेक्ष्य में, जब पत्तन स्वयं अपने प्रारंभिक प्रस्ताव को संशोधित करना चाहता है तो केपीटी के मूल प्रस्ताव, जोकि 'प्रशुल्क' प्रकरण के रूप में पंजीकृत है, को अनिश्चित समय तक जारी रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए, इस प्रकरण को, वापस लिया गया मानकर, बन्द किया जाता है। जब केपीटी का संशोधित प्रस्ताव आएगा तब इसपर सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विचार किया जाएगा। केपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव, इस प्राधिकरण द्वारा अपने दिनांक 9 अगस्त, 2001 के पत्र में की गई टिप्पणियों और 10 जून, 2003 को हुई संयुक्त सुनवाई में प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर तैयार करने की सलाह दी जाती है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003/असा०]